निर्णय ब–इजलास जगरूपद सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 80/2012 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह बारेठ, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

श्री अफजल पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी मकान नम्बर 660, मौलाना जियाउद्दीन की गली, गली नम्बर 5, चार दरवाजा बाहर जयपुर पुलिस थाना रामगंज।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 2 एच.पी.सी.) मय 22.600 किलोग्राम एल.पी.जी., पीतल की बांसूरी, एक लोहे की बांसूरी, लोहे का एक कांटा , लोहे के 9 बांट, एक प्लास, एक लोहे की संडासी व एक लोहे के पाने को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 21-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.03.2012 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों से छोटे नोन आई.एस.आई. मार्का सिलेण्डरों में अवैघ रूप से गैस भरकर बिक्री करने की शिकायत प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ एवं पुलिस स्टाफ थाना रामगंज के साथ मौलाना जियाउद्दीन कालोनी, गली नम्बर 5 पर जांच हेतु पंहुचे। मौके पर मकान नम्बर 662 पर श्री अफजल पुत्र श्री अब्दुल मजीद उपस्थित मिले। मौके उक्त मकान में एक कमरे में 4 आई.ओ.सी. एवं 02 एच.पी.सी. के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों के पास लोहे का एक कांटा (तराजू) जिस पर किसी कम्पनी का नाम नहीं लिखा हुआ है, 9 लोहे के बांट (5 किलोग्राम का एक, 2 किलोग्राम का एक, 1 किलोग्राम के दो, 500 ग्राम का एक, 200 ग्राम के दो, 50 ग्राम के दो), 5 नग पीतल की बांसूरी जो गैस अन्तरण के काम आती है, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना पाये गये। मौके पर श्री अफजल ने बताया कि यह मकान किराये पर ले रखा है जो श्री कतलू पुत्र श्री नन्हे खां का है। श्री अफजल ने बताया गत एक माह से घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे नोने आई.एस.आई. सिलेण्डरों में गैस भरता है। छोटे सिलेण्डरों में 2 किलोग्राम गैस भरकर 50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं से पैसा लेता है। मौके पर पाये गये सिलेण्डरों, बांसूरी, तराजू, बांट आदि के बारे में पूछने पर श्री अफजल ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही कोई दस्तावेज पेश किये। मौके पर मैसर्स राजधानी गैस सर्विस बी.पी.सी. जयपुर के प्रतिनिधि श्री रामगोपाल पाल पुत्र श्री रामवृक्ष पाल, निवासी बरधराज की डुंगरी, बेनीवाल बाग के सामने,

जिला कलक्टर जयपुर

बुलाकर मौके पर पाये गये 06 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया जिस पर सिलेण्डरों में 22.600 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई एवं एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेण्डर क्रय कर, संग्रहण कर, घरेलू गैस को छोटे नोने आई.एस.आई. सिलेण्डरों में अन्तरण करना स्वयं के द्वारा दिये गये कथनानुसार व मौके पर पाये गयी बांसूरी आदि के पाये जाने के कारण द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 02 एच.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना के 2) जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स राजधानी गैस सर्विस बी.पी.सी. जयपुर के प्रतिनिधि की सुपुर्दगी में दिये गये तथा प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना रामगंज जयपुर शहर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 92/2012 दिनांक 22.03.2012 दर्ज कराई गई है। इस जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 02 एच.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना के 2) को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 24.04.2012 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री खलील अहमद ने वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस हेतु नियत दिनांक को अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली में बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

3. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान मकान में एक कमरे में 4 आई.ओ.सी. एवं 02 एच.पी.सी. के घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये तथा घरेलू गैस सिलेण्डरों के पास लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना पाये गये। मौके पर श्री अफजल ने बताया गत एक माह से घरेलू गैस सिलेण्डरों से छोटे नोने आई.एस.आई. सिलेण्डरों में गैस भरता है। छोटे सिलेण्डरों में 2 किलोग्राम गैस भरकर 50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपभोक्ताओं से पैसा लेता है। मौके पर पाये गये घरेलू सिलेण्डरों, बांसूरी, तराजू, बांट आदि के बारे में पूछने पर श्री अफजल ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया एवं ना ही कोई दस्तावेज पेश किये। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर क्रय कर अवैध रूप से छोटे नोने आई.एस.आई. सिलेण्डर में गैस स्थानान्तरण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 02 एच.पी.सी.) मय एल.पी.

जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना के 2) को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

4. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द नौका जब्ती दिनांक 22.03.2012 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

5. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 02 एच.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना के 2) पाये गये तथा अप्रार्थी द्वारा यह अवगत कराया गया कि वह घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे सिलेण्डरों में गैस अन्तरण कर विक्रय करता है। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर से छोटे नोन आई.एस.आई. सिलेण्डर में गैस स्थानान्तरण कर विक्रय करने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ. सी. 02 एच.पी.सी.) मय एल.पी.जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना के 2) को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 6 घरेलू गैस सिलेण्डर (4 आई.ओ.सी. 02 एच. पी.सी.) मय एल.पी.जी. 22.600 किलोग्राम लोहे का एक कांटा (तराजू), 9 लोहे के बांट, 5 नग पीतल की बांसूरी, लोहे की बांसूरी एक नग, एक प्लास, एक लोहे की संडासी, एक पाना को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 24.04.2012 को पारित किये जा चुके है । तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 21-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर